(2)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 135/प्र0अ0–भवन/जोन–1/2013–14 दिनांक 28/09/2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राम लखन केसरवानी पुत्र श्री गनेशदीन केसरवानी द्वारा नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या–539 टी0पी0 नगर इलाहाबाद जोन संख्या **(1)** के अर्न्तगत **व्यवसायिक भवन** निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 04 अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षो को हरा भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग, भूतल, प्रथम तल पर शो–रूम एवं द्वितीय तल पर सर्वेन्ट रूम का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Received
Keshar...
28/9/13

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

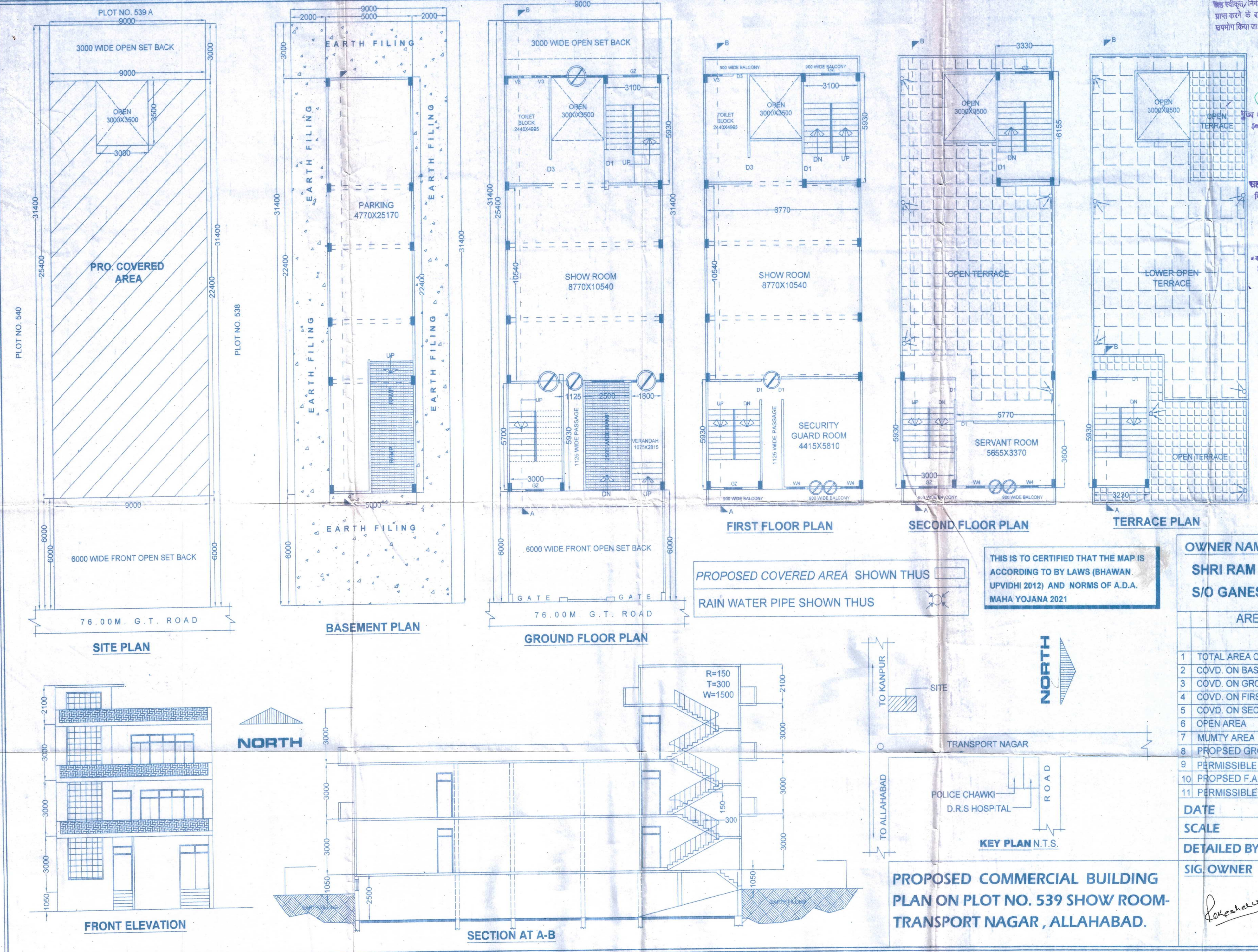

DOOR	D1	1050x2400
	D2	1000x2400
	D3	900x2400
	D4	750x2400
WINDOW	W6	1800x1650
	W4	1200x1350
VINT	V3	900x450

DOOR WINDOW SCHEDULE

PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS

RAIN WATER PIPE SHOWN THUS

THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS ACCORDING TO BY LAWS (BHAWAN UPVIDHI 2012) AND NORMS OF A.D.A. MAHA YOJANA 2021

यह स्वीकृत/निर्गमन अन्तिम है। 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर का वास्तविक उपयोग किया जा सकेगा।

सहायक अभियन्ता विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

OWNER NAME

SHRI RAM LAKHAN KESERWANI
S/O GANESH DEEN KESERWANI

AREA SCHEDULE IN SQMT.

		COVERED AREA ON SITE
1	TOTAL AREA OF PLOT	283.50 sqmt.
2	COVD. ON BASEMENT PLAN	112.00 sqmt..
3	COVD. ON GROUND FLOOR PLAN	191.10 sqmt.
4	COVD. ON FIRST FLOOR PLAN	191.10 sqmt.
5	COVD. ON SECOND FLOOR PLAN	39.92 sqmt.
6	OPEN AREA	92.40 sqmt.
7	MUMTY AREA	38.76 sqmt.
8	PROPSED GROUND COV.	67.40%
9	PERMISSIBLE GROUND COV.	70 %
10	PROPSED F.A.R.	1.488
11	PERMISSIBLE F.A.R.	1.50

DATE	30-8-2013
SCALE	1:100
DETAILED BY	Chandradeep
SIG. OWNER	SIG. ENGR.

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PLOT NO. 539 SHOW ROOM- TRANSPORT NAGAR , ALLAHABAD.

B. Tech (CIVIL)
Civil Engineer Reg No. G-542295-8
The Institution of Engineers (India)